राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाजपुर

मैनुअल –3 पर्यवेक्षण और उत्तदायित्व के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया

प्रधानाचार्य कार्यालय में निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित कर्मचारियों के संबंध में) निम्नानुसार है :–

1–कार्मिकों की नियुक्ति का प्राधिकार प्रधानाचार्य के पास नहीं है। नियुक्ति प्राधिकार के अन्तर्गत कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकार निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पास है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान स्तर पर लोक सूचना अधिकारी का प्रभार प्रधानाचार्य के पास है। मुख्यमंत्री हैल्प लाइन में भी L1 स्तर पर प्रकरण निस्तारण का अधिकार संथान के प्रधानाचार्य के पास है । इस कार्यालय के समस्त वर्गो के कर्मचारियों के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को है। उक्त कार्यालय कर्मचारियों की सामान्य स्थिति, भविष्य निधि अग्रिम, कार्यालयाध्यक्ष तथा विशेष अग्रिम निदेशक द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2. पत्रावलियों का प्रस्तुतीकरण

सम्बन्धित पटल सहायक द्वारा पत्रावलिया प्रधानाचार्य को प्रस्तुत की जाती है।